न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 284/2022 दायर दिनाँक 11.07.2022

वादी

1. नाथूराम पुत्र रामदीन उम्र 50 वर्ष जाति दमामी निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. प्रहलाद माता चुनकी
2. मानाराम माता चुनकी
3. सायरी माता चुनकी
4. मोहनी माता चुनकी
5. रूकमा माता चुनकी
6. प्रभुदयाल पुत्र नाथुराम माता पांची पुत्री चुनकी समस्त जाति मेघवंशी निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना
7. प्रहलादराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी रिक्सा बास तहसील डीडवाना
8. सीतादेवी पत्नि बद्रीराम जाति नायक निवासी चुई तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
9. रामकरण पुत्र नाथूराम मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा
10. राज0 सरकार जरिये ग्राम पंचायत, बिंचावा तह0 डीडवाना
11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफूलराव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 573 रकबा 0.7200 हैक्टे0 वाकै शरहद बिंचावा में अवस्थित है। नकल खतौनी वाद के साथ पेश है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 01 ता 05 स्व0 चुनकी पुत्री उमला के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं0 06 चुनकी की पुत्री पांची का पुत्र है।

यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान 573 रकबा 0.7200 हैक्टे0 की भूमि में से 1/4 हिस्सा वादी का खरीद सुदा है जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी भाग से दर्शाया हुआ है।

यह है कि वादी अपने खरीद सुदा भूमि 1/4 हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा बिना किसी रोक–टोक के अपनी [illegible] हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है।

यह है कि उपरोक्त खसरा सं0 573 [illegible] भूमि [illegible] वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मिट्स [illegible] प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी के हक हिस्से की भूमि में दखल अन्दाजी करने लगे तथा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने के ऐलानियां धमकी देने लगे। इसलिए मौखिक बंटवारे के अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। इसलिए श्रीमान के समक्ष यह वाद बाबत बंटवारा का पेश करना लाजमी आया है।

यह है कि प्रार्थना वादी इस प्रकार से है :–

यह है कि खेत खसरा सं0 573 रकबा 0.7200 हैक्टे0 वाकै शरहद बिंचावा का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादी का खरीद सुदा 1/4 हिस्सा जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी भाग से दर्शित की गई, की खातेदारी वादी के नाम पृथक दर्ज की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के क्रमांक/रीडर/2022/1861 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 573 रकबा 0.7200 में से हिस्सा 1/4 यानी कुल रकबा 0.1800 हैक्टै0 भूमि पर वादी के वाद में प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी खरीद सुदा भूमि पर कब्जा काश्त व पृथक से सींव–नींव कायम कर रखी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद बिंचावा के खेत खसरा सं0 573 रकबा 0.7200 हैक्टे0 में से वादी का खरीद सुदा 1/4 हिस्सा जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी भाग से दर्शित है, की खातेदारी वादी के नाम पृथक दर्ज की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:25 IST
Reason: Sent request

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **284/2022** दायर दिनाँक **11.07.2022**

वादीगण

1. नाथूराम पुत्र रामदीन उम्र 50 वर्ष जाति दमामी निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. प्रहलाद माता चुनकी
2. मानाराम माता चुनकी
3. सायरी माता चुनकी
4. मोहनी माता चुनकी
5. रूकमा माता चुनकी
6. प्रभुदयाल पुत्र नाथुराम माता पांची पुत्री चुनकी समस्त जाति मेघवंशी निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना
7. प्रहलादराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी रिक्सा बास तहसील डीडवाना
8. सीतादेवी पत्नि बद्रीराम जाति नायक निवासी चुई तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
9. रामकरण पुत्र नाथूराम मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा
10. राज0 सरकार जरिये ग्राम पंचायत, बिंचावा तह0 डीडवाना
11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **30.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूलराव वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद बिंचावा के खेत खसरा सं0 573 रकबा 0.7200 हैक्टे0 में से वादी का खरीद सुदा 1/4 हिस्सा जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी भाग से दर्शित है, की खातेदारी वादी के नाम पृथक दर्ज की जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत...................–...................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व श[illegible] को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारी[illegible]22 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:41:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner